

उपाबंध-X

(अध्याय 5, पैरा 5.13)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 1 अगस्त 2012

का.आ. 1732 (अ). -केन्द्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का और संशोधन करने के निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2012 है.
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.

- निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के प्रारूप 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को स्थापित प्रारूप और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"प्रारूप 26"
(नियम 4क देखिए)



श्री 7 कोलारस (ग्रह्य क्षेत्र)

निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधान सभा

(सदन का नाम) के लिये निर्वाचन के लिये रिटनिंग ऑफिसर के

समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग क

मैं, इमरान खान **पुत्र/पुत्री/पत्नी शुब्रता खान आयु 35 वर्ष, जो डॉ. आमर सिंह के पास

(डांक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

(1) मैं स्वतंत्र अभ्यर्थी (*राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(*जो लागू न हो उसे काट दें)

रजनीश

Sh



शुभानु शंका

शुभानु शंका
6-2-14 कोलास 41
[Illegible text]

[Handwritten signature]

आ.कां.सं. 65-74 9834 2354

के आचार्य पर पदपत्र की गई

[Handwritten signature]

शुभभचन्द जैन सराफ
नोटरी एडवोकेट
कोलास जिला शिवपुरी


[Illegible text]

6-2-14 कोलास
657

[Handwritten signature]

शुभभचन्द जैन सराफ
नोटरी एडवोकेट
कोलास जिला शिवपुरी

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AP 085899

शायद पत्रके साथ लिखत

मध्य प्रदेश न्यायिक

